

# अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

आदेश फलक

धारा-144 द0प्र0सं0

वाद संख्या 68/2019

सोमरा ठाकुर

बनाम

चन्द्र देव झाँसे

09-04-2019- चूँकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या आवेदक के आवेदन नं 26-04-2019  
के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि पंचम पक्ष 0 सोमरा ठाकुर द्वितीय पक्ष 0 04-05-2019  
चन्द्र देव झाँसे 19-05-2019

नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शांति भंग 20-05-2019  
होने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण 31-05-2019  
रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था का बनाये रखने हेतु द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत कार्यवाही 03-06-2019  
आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 07-06-2019  
उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 18-04-19 तक दाखिल करें।

## भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहद्दी
<u>ठिकिया</u>	<u>61</u>	<u>362</u>	<u>2263</u>	<u>0.88 ALTO</u>	पूर्व0 - <u>नास्ता</u> पश्चिमी - <u>पुचान</u> उत्तर - <u>अरत पुचान</u> दक्षिण - <u>सुदरा झाँसे</u>

9-4-19  
Sub-Divisional Magistrate  
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर  
09-04-19

03-06-19  
03-06-19

~~आधिकारिक उपलब्धि / इकाय पत्र के लक्ष्य अनुपलब्धि / वित्तिय  
दिनांक 07-06-19 को उपलब्धि करें।~~

07-06-19

~~आधिकारिक उपलब्धि / प्रथम पत्र के बारे में अतिरिक्त डेटा का  
खतम छापर है नहीं / बाद का लक्ष्य लेने के कारण को-  
वै संपादन की जाती है।~~

Sum  
7.6.19